राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) के दिनांक 01–04–2017 से प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों तथा राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा में गतिमान प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिनांक 24–10–2017 को आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. श्री एस0एन0 पाण्डे, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्रीमती विप्रा त्रिवेदी, उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य0), राजस्व परिषद्।
3. श्री के0के0 डिमरी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन), राजस्व परिषद्।
4. श्री हेमन्त सिंह मेहरा, कार्यालय अधीक्षक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा
5. श्री कैलाश चन्द्र, लैब असिस्टेन्ट(कम्प्यूटर)/प्रशिक्षण सहायक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा।
6. ममता राणा, वरिष्ठ प्रशिक्षिका, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, शंकरपुर, देहरादून।
7. श्री एस0एम0 पाठक, आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हवालबाग–अल्मोड़ा।
8. श्री सुरेश कुमार पाठक, प्रशिक्षक, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी–नैनीताल।
9. श्री डी0पी0 फुलेरिया, प्रशिक्षक, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, रूद्रपुर–ऊधमसिंह नगर।
10. श्रीमती किरन पाण्डेय, प्रदर्शिका, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, रूद्रपुर–ऊधमसिंह नगर।
11. श्री राकेश कुमार, आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी।
12. श्री शैलेन्द्र कुमार जोशी, प्रदर्शक, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, थरकोट–पिथौरागढ़।
13. श्री पी0के0 भारती, प्रदर्शक, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, चमोली।
14. श्रीमती मंजू सिंह, प्र0 आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार।
15. श्री महावीर प्रसाद ध्यानी, प्रशिक्षक, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार।

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का परिचय प्राप्त करते हुए दिनांक 01–04–2017 से विभिन्न प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों एवं राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा में प्रारम्भ प्रशिक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रों में प्रशिक्षणरत् राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) प्रशिक्षुओं की सूची, प्रशिक्षुओं को अनुमन्य मानदेय के भुगतान की स्थिति, प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण कराये जाने, प्रशिक्षण व्यय में आवंटित धनराशि के उपभोग की स्थिति एवं मासिक/वार्षिक परीक्षा आदि के संबंध में केन्द्रवार जानकारी प्राप्त की गई।

बैठक में राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा के कार्यकारी निदेशक अनुपस्थित हैं। आज की बैठक विशेष रूप से प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में

प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं की वार्षिक परीक्षा एवं अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हेतु आहूत की गई है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को कार्यकारी निदेशक की अनुपस्थिति के संबंध में पत्र लिखा जाय।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा अपने–अपने केन्द्रों की स्थिति निम्नवत अवगत कराई गईः–

1. सभी प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों (प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार को छोड़कर) द्वारा प्रशिक्षणरत राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) प्रशिक्षुओं की सूची उपलब्ध कराई गई। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, शंकरपुर–देहरादून से प्राप्त सूची के अनुसार वर्तमान में 75 प्रशिक्षुओं में से 72 राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 03 प्रशिक्षुओं द्वारा अन्यत्र विभागों में चयन होने के कारण प्रशिक्षण छोड़ दिया गया है। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी में कुल 74 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 01 प्रशिक्षु द्वारा अन्यत्र विभाग में चयन होने के कारण प्रशिक्षण छोड़ दिया गया है। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, गोपेश्वर–चमोली में कुल 32 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी–नैनीताल में जनपद नैनीताल के 29, जनपद टिहरी के 14 एवं जनपद उत्तरकाशी के 18 कुल 61 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें एक प्रशिक्षु दिनांक 05–08–2017 से 09–08–2017 तक अवकाश में जाने के उपरान्त आतिथि तक अनुपस्थित है। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हवालबाग–अल्मोड़ा में कुल 93 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, थरकोट–पिथौरागढ़ में 31 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, रूद्रपुर–ऊधमसिंह नगर में 58 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिनमें से एक प्रशिक्षु अनुपस्थित चल रहा है। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार के उपस्थित अधिकारियों द्वारा उनके प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें आज की बैठक की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इस संबंध में परिषद् के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि आज की बैठक की जानकारी ई–मेल एवं डॉक के माध्यम से भी प्रेषित की गई थी। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार के उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं की सूची ई–मेल अथवा डॉक के माध्यम से परिषद् को तत्काल उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही संबंधित प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र/जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी/ कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान)

2. बैठक में राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा के उपस्थित अधिकारियों से प्रशिक्षणरत राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेख़पाल) की वार्षिक

परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिका तथा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

संस्थान के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्न पत्र संस्थान के तहसीलदार/नायब तहसीलदार की गठित समिति द्वारा तैयार किये जाते हैं। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में संस्थान में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार नियुक्त नहीं हैं। यह भी अवगत कराया गया कि वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों को तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु बाहर से विशेषज्ञ बुलाया जाना अवगत कराया गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उत्तर पुस्तिका प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों से मंगा कर मूल्यांकन संस्थान द्वारा सम्पादित करवाया जाय। वार्षिक परीक्षा का अभी तक कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है, जिसे शीघ्र तैयार कर परिषद् को उपलब्ध कराया जाय। सभी प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों की वार्षिक परीक्षा एक ही तिथि तथा समय पर कराये जाने हेतु परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाय। प्रश्न–पत्र तथा उत्तर पुस्तिका समय से तैयार करा लिये जायं। प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिका राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा द्वारा छपवाये जायं। वार्षिक परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिकायें पर्याप्त संख्या में छपवाई जायं। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में सम्पादित वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें संबंधित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संस्थान को उपलब्ध कराई जायं। उत्तर पुस्तिकायें विधिवत् सील–बन्द लिफाफे में होंगी जिसे संबंधित जिले के जिलाधिकारी की उपस्थिति में कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेंगी। वार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम 07 नवम्बर, 2017 तक तैयार कर लिया जाय। वार्षिक परीक्षा सम्पादित होने के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी समय से पूर्ण कर लिया जाय, ताकि वार्षिक परीक्षा का परिणाम समय से घोषित हो सके जिसके फलस्वरूप उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की उनके संबंधित जिलों में समय से तैनाती सुनिश्चित हो सके। वार्षिक परीक्षा हेतु तैयार किया जाने वाला प्रश्न पत्र सम्पूर्ण पाठ्क्रम पर आधारित हो तथा दीर्घ, मध्यम एवं लघु प्रकृति के प्रश्न भी हों जिससे उनका उत्तर प्रशिणार्थियों द्वारा बिन्दुवार दिया जा सके।

(कार्यवाही सम्बन्धित प्राचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र/जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी/ कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान)

3. प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी के आचार्य श्री राकेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं की वार्षिक परीक्षा हेतु बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा भी वार्षिक परीक्षा हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होना अवगत कराया गया।

इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी अपने जिले में वार्षिक परीक्षा सम्पादन हेतु निकटतम इन्टर कालेज अथवा अन्य उपलब्ध विद्यालयों की व्यवस्था समय से सुनिश्चित करें, ताकि वार्षिक परीक्षा में व्यवधान न हो।

(कार्यवाही सम्बन्धित प्राचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र/जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी/ कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान)

4. बैठक में उपस्थित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों एवं संस्थान के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में अवगत कराया गया कि यदि वार्षिक परीक्षा समय से सम्पादित होती है, तो प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान अथवा प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में कब तक रखा जाय।

इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि प्रशिक्षुओं को संस्थान अथवा प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में एक–दो दिन से अधिक अवधि तक न रहना पड़े। यथासम्भव वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि वार्षिक परीक्षा 29 दिसम्बर, 2017 तक समाप्त हो जाय और शेष दो–तीन दिन प्रशिक्षणार्थियों को अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु उपलब्ध हो जायं।

(कार्यवाही सम्बन्धित प्राचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र/जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी/ कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान)

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, रूद्रपुर की आचार्य श्रीमती किरन पाण्डेय एवं श्री डी0पी0 फुलेरिया, प्रशिक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षणार्थियों का पढ़ाये जाने वाले विषयों के 14 topic अभी पढ़ाये जाने हेतु शेष हैं। अवगत कराया गया कि छूटे टॉपिक पढ़ाये जाने हेतु अतिथि वार्त्ताकार बुलाये गये हैं, जिन्हें 15 नवम्बर तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार की प्र0 आचार्य श्रीमती मंजू सिंह एवं प्रशिक्षक श्री महावीर प्रसाद ध्यानी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ाये जाने वाले सभी विषय लगभग सम्पूर्ण रूप से पढ़ाये जा चुके हैं। प्रशिक्षण हेतु शेष अवधि में प्रशिक्षणाथियों से संबंधित विषयों का पुनर्अध्ययन (revision) करवाया जायेगा।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून की वरिष्ठ प्रशिक्षिका श्रीमती ममता राणा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षुओं को अभी कम्प्यूटर विषय पढ़ाया जाना शेष है। प्रशिक्षुओं को अभी सर्वे एवं आपदा प्रबन्धन विषय पढ़ाया जाना भी अवशेष है।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हवालबाग–अल्मोड़ा के आचार्य श्री एस0एम0 पाठक द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग सभी विषय पूर्णरूप से पढ़ाये जा चुके हैं, कुछ विषय पढ़ाये जाने अवशेष हैं, जिन्हें समय से पूर्ण कर लिया जायेगा।

शेष सभी प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के उपस्थित अधिकारियों द्वारा लगभग सभी विषय पूर्णरूप से पढ़ाया जाना अवगत कराया गया तथा कुछ विषय पढ़ाये जाने हेतु अवशेष होना अवगत कराया गया। कतिपय प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा आपदा प्रबन्धन विषय भी पढ़ाये जाने हेतु शेष होना अवगत कराया गया।

इस संबंध में सभी प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र व्यक्तिगत रूचि लेकर समय से सभी विषयों का अध्यापन पूर्ण करवा लें। कतिपय जनपदों में आपदा प्रबन्धन विषय पढ़ाया जाना अवशेष है। संबंधित जिलाधिकारी आपदा प्रबन्धन विषय पढ़ाये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन के संबंधित अधिकारियों को इस हेतु निर्देशित करें ताकि समय से विषय पूर्ण हो सके तथा प्रशिक्षण की निर्धारित समयावधि तक वार्षिक परीक्षा सम्पादित हो सके।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, रूद्रपुर–ऊधमसिंह नगर एवं देहरादून के उपस्थित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षुओं से केन्द्र को आवंटित योजना का स्थलीय अध्ययन कराया जाना अवशेष है। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अवशेष पाठ्यक्रम को ससमय पूर्ण करा लें ताकि वार्षिक परीक्षा समयान्तर्गत सम्पादित कराई जा सके। सभी केन्द्र फील्ड–प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षुओं का फीड बैक प्राप्त कर लें तथा उसके संबंध में एक विस्तृत विवरण तैयार कर परिषद् को उपलब्ध करा दें।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों ने अवगत कराया कि प्रशिक्षुओं को वर्तमान में English to Hindi एवं Hindi to English अनुवाद पढ़ाये जा रहे हैं। राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा के उपस्थित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान के पाठ्यक्रम के अनुसार English to Hindi अनुवाद ही पढ़ाया जाना है। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे संस्थान के पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रशिक्षुओं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करायें।

(कार्यवाही सम्बन्धित प्राचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र/जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी/ कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान)

6. बैठक में उपस्थित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी–नैनीताल के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र–हल्द्वानी–नैनीताल को उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) प्रशिक्षण हेतु कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। प्रशिक्षण केन्द्र को विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु आकस्मिक/प्रशासनिक मद में अनुमानित रू0 2,20,000–00 (दो लाख बीस हजार) धनराशि की आवश्यकता है, जिसका उपयोग विद्युत बिल भुगतान एवं पेयजल व्यवस्था, एस0पी0एस0 क्रय, प्रशिक्षण सामग्री जैसे चार्ट पेपर, मार्कर पेन, स्कैच पेन, व्हाईट बोर्ड मार्कर पेन, ए–4 साईज फोटो स्टेट पेपर, फोटो स्टेट मशीन एवं कम्प्यूटर हेतु कार्टेज, फोटो प्रति आदि की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक है। यह भी अवगत कराया गया कि जनपद उत्तरकाशी के प्रशिक्षणरत राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी/लेखपाल) को माह अप्रैल से माह जुलाई 2017 तक का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण का मानदेय प्राप्त हो चुका है। जनपद टिहरी गढ़वाल एवं जनपद नैनीताल के प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं को मानदेय भुगतान की प्रक्रिया गतिमान है,।

इस संबंध में जिलाधिकारी, नैनीताल, प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं के मानदेय भुगतान एवं अन्य मदों में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र को धनराशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करें। सभी जिलाधिकारी प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकतानुसार विभिन्न मदों

में धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करें। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र भी आवश्यकतानुसार धनराशि आवंटन/उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से जिलाधिकारियों/नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करें।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हवालबाग–अल्मोड़ा के आचार्य द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र पर चल रहे राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) प्रशिक्षण हेतु वाहन अनुरक्षण मद इत्यादि हेतु रू0 1,00,000–00 (एक लाख) की धनराशि आवंटित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि इस संबंध में धनराशि आवंटन हेतु परिषद् को मांग पत्र प्रेषित किया गया है।

इस संबंध में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र की आवश्यकतानुसार उन्हें धनराशि आवंटित करने की कार्यवाही की जाए।

कतिपय प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के उपस्थित अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण मद में धनावंटन प्राप्त न होने के संबंध में भी अवगत कराया गया। जिलाधिकारी इस संबंध में संज्ञान लेकर प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकतानुसार शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करें ताकि प्रशिक्षण में व्यवधान उत्पन्न न हो।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार के उपस्थित अधिकारियों द्वारा बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि केन्द्र से रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही जिलाधिकारी स्तर से प्रशिक्षुओं को प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण माह का मानदेय सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। यह भी संज्ञान में लाया गया कि कई प्रशिक्षु प्रशिक्षण से अनुपस्थित हैं, जिससे कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं को मानदेय भुगतान से पूर्व प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षुओं की उपस्थिति प्राप्त कर लें तत्पश्चात ही प्रशिक्षुओं की उपस्थिति के अनुसार उनको मानदेय का भुगतान किया जाय। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र भी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं की उपस्थिति जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी को समयान्तर्गत प्रेषित करें।

(कार्यवाही सम्बन्धित प्राचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र/ जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी/राजस्व परिषद्)

7. प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों एवं राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशक्षिण संस्थान की सामान्य समस्याएं :

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के उपस्थित अधिकारियों द्वारा प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के प्राचार्य/आचार्य/प्रभारी को प्रशिक्षण की वैधानिकता बनाये रखने हेतु मासिक परीक्षा के सम्पादन हेतु कार्यकारी निदेशक की शक्तियाँ प्रदत्त किये जाने हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

इस संबंध में परिषद् स्तर से उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग को पत्र प्रेषित किये गये हैं। परिषद् के उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे इस संबंध में उत्तराखण्ड शासन को पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित करें।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के उपस्थित अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं के शेष प्रशिक्षण एवं उपस्थिति आदि के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया।

इस संबंध में परिषद् स्तर से जिलाधिकारियों को ऐसे अभ्यर्थियों/प्रशिक्षुओं की सूची उनके नाम एवँ प्रशिक्षण में सम्मिलित होने की तिथि आदि सहित विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं। परिषद् स्तर से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन जनपदों से उक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई, शीघ्र प्राप्त कर पत्रावली अग्रेत्तर कार्यवाही/निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल के उपस्थित आचार्य/प्रशिक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षुओं को अनुमत किये जाने वाले आकस्मिक अवकाश पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं।

इस संबंध में निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं को राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान (दायित्व एवं कृत्यों का परिसीमन नियमावली), 2013 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही अवकाश स्वीकृत किया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित प्राचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र/जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी/ कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान/राजस्व परिषद्)

बैठक में दिये गये दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्तानुसार कार्यवाही की अपेक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारीगण का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव।

कार्यालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्याः–4882/चार–रा0उ0नि0प्रशि0/राज0परि0/2017, दिनांकः 28 अक्टूबर, 2017।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
2. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड़।
4. कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा।
5. समस्त नोडल अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड़।
6. आचार्य/प्रभारी, सम्बन्धित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तराखण्ड।
7. रक्षण पंजिका।

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्।
25.10.2017